न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
बईजलास श्रीमती अल्पा चौधरी, आई.ए.एस.

राजस्व निगरानी प्रार्थना–पत्र सं. 01/2025

प्रार्थी

1. श्री जुआरिंग पुत्र श्री–कसालिंग जाति पुरोहित निवासी किवरली तहसील देलदर जिला सिरोही।
2. श्री थानाराम पुत्र श्री जुआरिंग जाति पुरोहित निवासी किवरली तहसील देलदर जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी

1 श्री रामा राम पुत्र श्री मोतीजी जाति गरासिया निवासी किवरली तहसील देलदर जिला सिरोही हाल सुरपगला तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
2 राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार देलदर जिला सिरोही।

राजस्व निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राज. भूराजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970

उपस्थिति :–

1 श्री पोपटलाल देव, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2 श्री चन्दनसिंह डाबी, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या एक की ओर से।
3 पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार, सिरोही)।

निर्णय

दिनांक 17.09.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा यह आवेदन पत्र अप्रार्थी के विरूद्व पेश कर निवेदन किया गया कि मौजा किवरली पटवार मण्डल किवरली, तहसील देलदर जिला सिरोही के खसरा संख्या 949 रकबा में से 6.09 बीघा किस्म गै.मु.मगरी भूमि उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत के आदेश दिनांक 18.04.1974 द्वारा अप्रार्थी संख्या एक श्री रामाराम पुत्र श्री मोतीजी गरासिया निवासी किवरली को आवंटन की गई थी जिसका नामान्तरकरण संख्या 2673 दिनांक 12.03.2025 को तहसीलदार देलदर द्वारा जीएलएमएसी कमेटी की सिफारिश पर आंवटी श्री रामाराम पुत्र श्री मोतीजी जाति गरासिया किवरली के नाम बतौर गैर खातेदार दर्ज कर स्वीकृत किया गया है, जिसे निरस्त कराने हेतु यह प्रार्थना–पत्र अप्रार्थी के विरूद्व राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत पेश किया। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया।

प्रकरण की सुनवाई के दौरान दिनांक 20.06.2025 को अप्रार्थी संख्या एक की ओर से अधिवक्ता श्री चन्दनसिंह डाबी एवं अधिवक्ता श्री राजेन्द्रपुरी द्वारा जरिए अलग–अलग वकालतनामा प्रस्तुत कर के उपस्थिति दी गई, परन्तु दिनांक 04.07.2025 को अधिवक्ता श्री

जिला कलेक्टर, सिरोही

....लगातार पेज नं. 02

Scanned with CamScanner

राजेन्द्रपुरी द्वारा अप्रार्थी संख्या एक श्री रामाराम की ओर से प्रस्तुत वकालतनामा को विड्रो किया गया एवं अधिवक्ता श्री चन्दनसिंह डाबी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया, जो शामिल मिसल किया गया। प्रकरण में दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई ।

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री पोपटलाल दवे द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया कि अप्रार्थी संख्या एक को अप्रार्थी संख्या दो द्वारा मौजा किवरली के खसरा संख्या 949 में से रकबा 6.09 बीघा भूमि आवंटन का श्रीमान जिला कलक्टर महोदय एवं जीएलएमएसी कमेटी के आदेश क्रमांक/भू.अ./जीएलएमएसी/2025/663 दिनांक 21.02.2025 की पालना में अप्रार्थी संख्या दो तहसीलदार देलदर द्वारा आदेश क्रमांक/भू.अ./2025/212 दिनांक 07.03.2025 की पालना में नामान्तरकरण दिनांक 12.03.2025 को स्वीकृत किया गया है, जिसमें श्रीमान उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत के आदेश दिनांक 18.04.1974 के जरिए आवंटन किए जाने व उपरोक्त आवंटन के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश किए गए है। जबकी प्रार्थीगण की जानकारी अनुसार उक्त रामाराम पुत्र मोती गरासिया नाम का कोई व्यक्ति सन् 1974 या उससे पूर्व किवरली में अथवा सुरपगला में नहीं था और उसके नाम का जो आंवटन होना बताया गया है। वह पूर्णतया गलत, अवैध व नियम विरुद्ध है क्योंकि खसरा संख्या 949 की लगभग 6 बीघा भूमि पर प्रार्थीगण व उनके परिवार का कब्जा काश्त राजस्थान राज्य में आबू क्षेत्र, बोम्बे स्टेट से राजस्थान राज्य में विलय होने के पूर्व से अर्थात करीब 80 वर्षों से अधिक समय से बिना किसी रोक टोक के चला आ रहा है। और उक्त रामाराम नाम के व्यक्ति का ना तो कभी कब्जा काश्त उक्त भूमि पर रहा है ना ही उक्त नाम का व्यक्ति है। ना ही कोई व्यक्ति उक्त भूमि पर कभी आया है। यह कि मौजा किवरली में प्रार्थीगण की पुश्तैनी कृषि भूमि स्थित है, जिसमें प्रार्थी संख्या एक की भूमि का नाम घरवाडा तथा प्रार्थी संख्या दो के कुएं का नाम मुजीया वाडा के नाम से प्रख्यात है। उपरोक्त कुएं वाली पुश्तैनी भूमि के पास खसरा संख्या 949 की गैर मुमकिन मगरी किस्म की भूमि स्थित है, जिसमें से लगभग 6 बीघा भूमि पर प्रार्थीगण व उनके पूर्वजों के व उनके कुटम्बी जनों का पुराना कब्जा काश्त करीब 80 वर्षों से निरन्तर यथावत चला आ रहा है। जिसके सम्बन्ध में प्रार्थीगण व उनके परिवारजन को धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के तहत नोटिस भी जारी हो रखे है। यदि अप्रार्थी संख्या एक को 18.04.1974 को आवंटन हुआ होता तो प्रार्थीगण को 91 भू–राजस्व अधिनियम के तहत नोटिस नहीं दिये जाते व ना ही प्रार्थीगण का कब्जा यथावत रहता। सन् 1974 के पश्चात् दिनांक 01.02.2025 को अप्रार्थी संख्या 01 के मार्फत प्रार्थना पत्र दिया जाता है, जिसे आधार बना कर जिला स्तरिय राजकीय भूमि नामान्तरणकरण परामर्श समिति सिरोही के द्वारा दिनांक 21.02.2025 को आदेश पारित कर दिनांक 12.03.2025 को गैर खातेदारी नामान्तरणकरण दर्ज किया गया है, जो अवैध व गैर कानूनी है। साथ ही आंवटन के समय अप्रार्थी संख्या एक नाबालिग था, उसकी उम्र 17 वर्ष ही होती है, जिससे आवंटन निरस्त योग्य है। यह कि उक्त खसरा संख्या 949 की भूमि हाईवे रोड से लगती हुई होने से 0.7587 हैक्टेयर भूमि क्रेशर हेतु मैसर्स अम्बिका क्रेसिंग कम्पनी को आवंटित होने से उक्त भूमि के दो टुकडे होकर नये खसरा नम्बर बने है, जिसमे से नये खसरा संख्या 1434/949 की भूमि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि है। जिस पर प्रार्थीगण का राजस्थान राज्य में आबू क्षेत्र, बोम्बे स्टेट से राजस्थान राज्य में विलय होने के पूर्व से करीब 80 वर्षों से लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। यह कि आज से कुछ दिनों पूर्व प्रार्थीगण को जानकारी हुई की खसरा संख्या 1434/949 की भूमि में से

जिला कलेक्टर, सिरोही

....लगातार पेज नं. 03

Scanned with CamScanner

1.6313 हैक्टेयर भूमि किसी रामाराम पुत्र मोती गरासीया को किवरली व सुरपगला का निवासी बता कर उसके नाम गैर खातेदारी नामन्तरणकरण संख्या 2673 दिनांक 13.03.2025 को स्वीकृत कर दर्ज किया गया है जो अवैध व विधि विरुद्ध दर्ज किया गया है। उक्त गैर खातेदारी नामान्तरणकरण जिस आधार पर दर्ज किया गया है वह आधार भूमि आवंटन सलाहकार समिति सिरोही के द्वारा उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत के दिनांक 18.04.1974 के आवंटन आदेश को आधार बता कर नामान्तरणकरण दर्ज किया गया है, जो कि भू–माफिया द्वारा ऐसे पुराने आवंटन आदेश का पता लगा कर रामाराम पुत्र मोती गरासीया नाम के व्यक्ति को फर्जी रुप से तैयार कर उपरोक्त आवंटन के आधार पर नामान्तरणकरण की कार्यवाही की गई है, जिससे बिना कब्जे के आवंटन आदेश दिनांक 18.04.1974 को निरस्त किया जाना आवश्यक है। यह कि प्रार्थीगण के कुंए घरवाडा व मुजियावाडा में आने जाने का कदीमी रास्ता भी उक्त ख़सरा संख्या 949 की भूमि में से ही है और जो यथावत आज रोज तक प्रार्थीगण उपयोग उपभोग ले रहे है तथा खसरा सख्या 1434/949 की करीब 6 बीघा भूमि का उपयोग उपभोग भी प्रार्थीगण द्वारा किया जा रहा है। यह कि प्रार्थीगण की जानकारी मे उपरोक्त प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि को फर्जी व कुटरचित दस्तावेज तैयार कर रामाराम पुत्र मोती गरासीया नाम के व्यक्ति के जरिये उपरोक्त समस्त कार्यवाही की गई है। जिससे की गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज करवा कर उसे तुरन्त ही अपने किसी व्यक्ति के नाम से फर्जी रुप से विक्रय विलेख तैयार कर भूमि रुपान्तरण करवा कर लाखों करोडो रुपये की कमाई कर सके। जिससे उपरोक्त आवंटन बिना कब्जे के तथा आवंटन के पश्चात से आज रोज तक कभी कब्जा काश्त नहीं रहने से निरस्त योग्य है। यह कि कानूनन आवंटन के पश्चात कब्जा नहीं होने पर आवंटन श्रीमान न्यायालय के स्वप्रस्ताव या किसी भी व्यक्ति के आवेदन पर रद्ध करने का अधिकार है कि यदि आवंटन कपट या दुर्व्यप्रदर्शन के द्वारा प्राप्त किया गया हो या नियम विरुद्ध किया गया हो अथवा आवंटन कि शर्तों का पालन नही किया गया हो। अप्रार्थी संख्या एक का ना तो आवंटन की दिनांक से आज रोज तक कभी कब्जा रहा है ना ही आंवटन के समय कब्जा था। ऐसे में अप्रार्थी संख्या एक के नाम किया गया आवंटन आदेश दिनांक 18.04.1974 निरस्त योग्य है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटन निरस्त किया जाना फरमावें।

प्रकरण की सुनवाई के दौरान दिनांक 20.06.2025 को अप्रार्थी संख्या एक की ओर से अधिवक्ता श्री चन्दनसिंह डाबी एवं अधिवक्ता श्री राजेन्द्रपुरी द्वारा अलग–अलग वकालतनामा प्रस्तुत कर उपस्थिति दी गई, परन्तु दिनांक 04.07.2025 को अधिवक्ता श्री राजेन्द्रपुरी द्वारा अप्रार्थी संख्या एक श्री रामाराम की ओर से प्रस्तुत वकालतनामा को विड्रो किया गया एवं अधिवक्ता श्री चन्दनसिंह डाबी द्वारा जवाब प्रस्तुत कर बहस में निवेदन किया गया कि विवादित भूमि अप्रार्थी संख्या एक को कभी आवंटन नहीं हुई है और ना ही आवंटन के समय अप्रार्थी संख्या एक का जन्म हुआ था। कोई अन्य व्यक्ति अप्रार्थी संख्या एक के नाम का पूर्व में रहा होगा, जो अब किवरली अथवा सुरपगला में कोई व्यक्ति नहीं रहता है। यह कि अप्रार्थी संख्या एक के नाम का दुरुपयोग किया गया है, जबकि अप्रार्थी संख्या एक का उक्त भूमि पर कोई सरोकार नहीं रहा है और ना ही अप्रार्थी संख्या एक का कब्जा है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या एक का विवादित आराजी से कभी कोई सरोकार नहीं रहा है। उक्त तथ्य को व जबाव को रेकर्ड पर लेकर विधि अनुरुप निर्णय करना फरमावें।

जिला कलेक्टर, सिरोही

....लगातार पेज नं. 04

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी संख्या दो की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि जिला कलक्टर महोदय एवं जीएलएमएसी कमेटी के आदेश क्रमांक/भू.अ./जीएलएमएसी /2025/663 दिनांक 21.02.2025 व तहसील कार्यालय देलदर के आदेश क्रमांक/भू.अ./2025 /212 दिनांक 07.03.2025 की पालना में ग्राम किवरली के खसरा संख्या 1434/949 रकबा 2.8957 हैक्टेयर किस्म गै.मु.मगरी श्री रामाराम पुत्र श्री मोतीजी गरासिया निवासी किवरली हाल सुरपगला आबूरोड के नाम गैर खातेदार का नामान्तरकरण संख्या 2673 दिनांक 12.03.2025 को दायर किया जाकर दिनांक 13.03.2025 को स्वीकृत किया गया है। उक्त नामान्तरकरण उपखण्ड अधिकारी महोदय आबूपर्वत के द्वारा आवंटन कमेटी की बैठक में दिनांक 18.04.1974 को श्री रामाराम पुत्र श्री मोतीजी को भूमि आवंटन की जाने की बैठक कार्यवाही विवरण के आधार पर किया गया है। वर्तमान में श्री रामाराम पुत्र श्री मोतीजी नाम का व्यक्ति ग्राम किवरली में निवास नहीं करता है। यह कि खसरा संख्या 949 में से मैसर्स अम्बिका क्रेसिंग कम्पनी को आवंटित होने से शेष भूमि का खसरा संख्या 1434/949 रकबा 2.8957 हैक्टेयर दर्ज हुआ हैं। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या दो का जबाव रेकर्ड पर लिया जाना फरमावें।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत के आदेश दिनांक 18.04.1974 द्वारा अप्रार्थी संख्या एक श्री रामाराम पुत्र श्री मोतीजी गरासिया निवासी किवरली को मौजा किवरली पटवार मण्डल किवरली, तहसील देलदर जिला सिरोही के खसरा संख्या 949 में से रकबा 6.09 बीघा किस्म गै.मु.मगरी भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया है, जिसकी पालना में आंवटित भूमि का नामान्तरकरण संख्या 2673 दिनांक 12.03.2025 को तहसीलदार देलदर द्वारा जीएलएमएसी कमेटी की सिफारिश पर आवंटित भूमि राजस्व रेकर्ड में आंवटी श्री रामाराम पुत्र श्री मोतीजी गरासिया के नाम बतौर गैर खातेदार दर्ज की गई।

प्रार्थी पक्ष द्वारा मुख्यतः कथन किया गया है कि अप्रार्थी ने आवंटित भूमि पर कभी भी काश्त नहीं किया है एवं आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया है। उक्त आवंटित भूमि पर प्रार्थीगण के कुटम्बी जनों का पुराना कब्जा काश्त करीब 80 वर्षों से निरन्तर यथावत चला आ रहा है। जिसके सम्बन्ध में प्रार्थीगण व उनके परिवारजन को धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के तहत नोटिस भी जारी हो रखे है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा उक्त आवंटित भूमि पर आवंटन के समय से लेकर अब तक किसी भी प्रकार की काश्त की हो या अप्रार्थी संख्या एक का आवंटित भूमि पर कभी भी कब्जा रहा हो, ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अतः प्रार्थी अधिवक्ता का यह मानने योग्य प्रतीत होता है कि अप्रार्थी संख्या एक ने आवंटित भूमि पर कभी भी कब्जा कर काश्त नहीं किया है तथा आवंटन शर्तों का उल्लघंन किया है। इसके अलावा प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि उक्त आवंटित भूमि पर प्रार्थीगण व उसके पूर्व रसाधिकारियों का करीब 80 वर्षों से निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है, परन्तु उनके द्वारा अपने इस कथन के समर्थन में किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है

जिला कलेक्टर, सिरोही

....लगातार पेज नं. 05

Scanned with CamScanner

और ना ही ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है, जिससे यह साबित हो सके कि प्रार्थीगण का उक्त विवादित भूमि पर आवंटन के पूर्व या आवंटन के बाद में किसी भी प्रकार का कब्जा काश्त हो। इसके अलावा तहसीलदार देलदर द्वारा तैयार की गई मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 10.03.2025 में भी उक्त विवादित भूमि पर कांटों की बाड लगा होना बताया है, जिसमें प्रार्थीगण का उक्त आवंटित भूमि पर किसी भी प्रकार का कब्जा होने के सम्बन्ध में नहीं बताया गया है। अतः प्रार्थी अधिवक्ता यह साबित करने में असफल रहे है कि प्रार्थीगण का उक्त विवादित भूमि पर किसी भी प्रकार का कब्जा काश्त है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि आवंटित भूमि पर अप्रार्थी संख्या एक द्वारा आवंटन के समय से लेकर आज तक किसी भी प्रकार की कोई काश्त नहीं की है। इस प्रकार यह तथ्य साबित है कि उपरोक्त वर्णित भूमि पर अप्रार्थी संख्या एक का कब्जा काश्त नहीं है। चूंकि नियम 14 (3) के तहत अप्रार्थी प्रथम वर्ष 50 प्रतिशत भाग एवं शेष क्षेत्र को दूसरे वर्ष में काश्त की जानी चाहिए थी। उसके पश्चात आवेदन करने पर कालावधि तहसीलदार द्वारा 1 वर्ष के लिए बढाई जा सकती है। विचारणीय प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा कब्जा कर काश्त किया जाना नही पाया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लघंन किया जाना स्पष्ट प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को किसी तरह की कोई राहत दी जाना विधि संगत नही होगा।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा किवरली पटवार मण्डल किवरली, तहसील देलदर जिला सिरोही के खसरा संख्या 949 में से रकबा 6.09 बीघा किस्म गै.मु.मगरी भूमि उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत के आदेश दिनांक 18.04.1974 द्वारा अप्रार्थी संख्या एक श्री रामाराम पुत्र श्री मोतीजी गरासिया निवासी किवरली को आवंटन की गई है, उसे निरस्त किया जाता है। साथ ही तहसीलदार देलदर को निर्देश दिए जाते है कि उपरोक्त वर्णित भूमि का उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने की कार्यवाही करावें।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(अर्पा चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner